संख्या- 79/2015/374/22-4-15-48(28)/08

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक- 25 मार्च, 2015

विषय- निर्माणाधीन जिला कारागार, कासगंज हेतु द्वितीय पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 10089/नम-1/76(वैल्यूम-2), दिनांक- 19 मार्च, 2015 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या- 66/2015/1540//22-4-14-48(28)/08, दिनांक 17.03.2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय निर्माणाधीन जिला कारागार,कासगंज के अवशेष निर्माण कार्यो की निरन्तरता बनाये रखने हेतु द्वितीय पुनरीक्षित स्वीकृति के सापेक्ष रू0 11,60,55,000/- (रूपया ग्यारह करोड़ साठ लाख पचपन हजार मात्र) है, की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

(3) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 नहीं रखी जायेगी।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक-31.03.2015 तक कर लिया जाय।

(6) कार्यपूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

2- प्रश्नगत निर्माण कार्य के सम्बन्ध में निर्गत मूल स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 15.02.2010, प्रथम पुनरीक्षित स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 19.06.2013 एवं द्वितीय पुनरीक्षित स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 17 मार्च, 2015 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-08-कारागार का निर्माण-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या-79/2015/374(1)/22-4-15-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) प्रबंध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम,लि0 लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, कासंगज।
(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in